{ खुद के लिए जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता पर जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीते हैं - परमहंस योगानंद }

सम्पादकीय

पूरी सूचना की उम्मीद

इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की कवायद स्वाभाविक ही थमने का नाम नहीं ले रही है और सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता लगातार रंग ला रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक को यह कहते हुए फटकार लगाई है कि वह चयनात्मक नहीं हो सकता है, मतलब वह चुन-चुनकर सूचनाएं नहीं जारी कर सकता। उसे बॉन्ड से जुड़ी हर सूचना जनहित में जारी करनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में एक-एक सूचना का सबके सामने आना तय है और इसके लिए न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक का समय दिया है। बॉन्ड के संबंध में सूचनाओं की जितनी बड़ी खेप सामने आ चुकी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी खेप का आना शेष है। बैंक जैसे ही बाकी सूचनाएं देगा, वैसे ही चुनाव आयोग उनको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर देगा। दरअसल, अल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट नंबर का खुलासा होना भी जरूरी है, इससे साफ तौर पर पता चलेगा कि बॉन्ड किसने खरीदा और उसका लाभ किसने लिया? देश के लिए यह जानना जरूरी है कि किस पार्टी की झोली में कुल कितना चंदा गया है और किसने दिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को यहां तक कहा है कि आप अगले आदेश की प्रतीक्षा मत कीजिए, जो भी सूचनाएं हैं, सबको जारी कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया है कि एसबीआई चुनिंदा सूचनाएं ही जारी कर रहा है, यह पहलू एसबीआई के लिए ठीक नहीं है, इसका उसके ग्राहकों के बीच बेहद प्रतिकूल संदेश जा रहा है। तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बेशक, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को पारदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी साख बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि वह प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ के आदेश का अक्षरशः पालन करे। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत ही चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी और एसबीआई पर भरोसा किया गया था। अतः अब एसबीआई का दायित्व है कि वह इस भरोसे पर खरा उतरकर दिखाए। उसकी ओर से जब सारी सूचनाएं सामने आ जाएंगी, तब लोग यह परखने की स्थिति में होंगे कि अरबों के चंदे का लेन-देन कैसे सुलभ हुआ? राजनीतिक चंदा कतई अनैतिक नहीं है, पर उसमें पारदर्शिता का होना जरूरी है। बीत गए वे दिन, जब चंदे गोपनीय हुआ करते थे। चुनावों में काले धन का खूब प्रयोग हुआ करता था, पर आज के सूचना प्रधान दौर में लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान कम से कम एक लोकतांत्रिक देश में होना ही चाहिए।

इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जहां एसबीआई कठघरे में है, वहीं राजनीतिक पार्टियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्या राजनीतिक पार्टियां स्वयं आगे बढ़कर यह नहीं बता सकतीं कि उन्हें कब किसने कितना चंदा दिया? इधर, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, पर राज्यों में सत्तारूढ़ कुछ पार्टियों के जवाब हैरान करने के लिए पर्याप्त हैं। कुछ पार्टियों की ओर से यह जवाब आया है कि उन्हें पता ही नहीं कौन चंदा दे गया? क्या ऐसे जवाब पर विश्वास कर लेना चाहिए? कायदा तो यही बोलता है कि राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए, पर ऐसी कोशिश को पार्टियां पहले खारिज कर चुकी हैं। शायद एक दिन आएगा, जब राजनीतिक पार्टियां स्वयं ही लोगों को पर्याप्त सूचनाएं मुहैया कराने लगेंगी और किसी भी नागरिक को सूचना के लिए अदालत जाने की नौबत नहीं आएगी।

विशेष

चुनौतियों के बीच चुनाव एक मिसाल

■ विभूति नारायण राय

चुनावों के लिए जरूरी समता या समानता भरे मैदान का हमारे देश में सतरह लोकसभा चुनावों के बाद भी अभाव दिखता है। सत्ताधारी पार्टी दौड़ शुरू होने के पहले ही आगे खड़ी हो जाती है। चुनावी बॉन्ड की जानकारियों या निर्वाचन आयोग के फैसलों से भी यह स्पष्ट है। इन सबके बावजूद इसे भारतीय मतदाता की प्रौढ़ता ही कहेंगे कि सारी गड़बड़ियों के बावजूद उसने अनेक बार सत्तारूढ़ पार्टियों को अपने मतदान के अधिकार से अपदस्थ किया है। आपातकाल के बाद का चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है।

सोलह मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने के साथ ही, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र (नब्बे करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले) में संघर्ष की रणभेरी बज उठी है। 4 जून की देर रात तक या उसके भी बाद, जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाएगी, यह संघर्ष पूरी शिद्दत के साथ चलता रहेगा। इसमें रहस्य, रोमांच, उत्सुकता और आशा-निराशा का द्वंद्व तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक 543 सीटों के लिए लड़ने वाले उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला नहीं हो जाता। अपनी भौगोलिक, भाषिक और सांस्कृतिक विविधताओं के चलते भारतीय चुनाव दुनिया भर के पर्यवेक्षकों के लिए हमेशा उत्सुकता के विषय रहे हैं। खास तौर से पश्चिम के राजनीतिक पंडित तो शुरू से ही भारत मे चुनावों की सफलता और निष्पक्षता को लेकर सशंकित रहे हैं। ब्रिटिश राजनेता चर्चिल शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी सरकारें चुनने को लेकर भारतीय क्षमता के प्रति इतना आशंकित था कि वह मानता था कि अंग्रेजों के जाते ही यहां खून की बारिशें होंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देश के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने पहला आम चुनाव जल्दी कराने की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जिद पूरा करने के रास्ते में जिन बाधाओं का जिक्र किया था, उनमें से एक बाधा का उल्लेख ही उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ी समस्याओं को समझने में मददगार होगा।

चुनाव के लिए सबसे जरूरी मतदाता सूची की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग की समझ तब गड़बड़ा गई, जब उन्होंने पाया कि एक क्षेत्र में कई सौ महिलाओं ने अपने पति का एक ही नाम लिखवाया था। इसके पीछे शिक्षा के अभाव के साथ-साथ वह सामाजिक परंपरा भी थी, जिसके तहत महिलाएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती थीं। एक ने पति का नाम पूछने पर किसी प्राकृतिक अवयव की तरफ इशारा किया और फिर बाद में आने वाली सभी सिर्फ 'वही' के इशारे में सिर हिलाती गईं। दुर्गम भौगोलिक इलाकों वाले इतने विशाल देश में मतदान केंद्रों तक चुनाव कर्मियों को अपने साजो-सामान के साथ पहुंचाना, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना और फिर चुनाव समाप्त करा कर उन्हें वापस मुख्यालय लाना कितनी कठिन परीक्षा रही होगी, इसका तो आज अंदाज ही लगाया जा सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि सतरह लोकसभाएं इस प्रक्रिया से चुनी गई हैं और यह भी कम उल्लेखनीय नहीं है कि हर चुनाव के बाद उत्तरोत्तर हिंसा की घटनाएं कम होती गईं। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो आम तौर से चुनावी नतीजों को सभी पक्षों ने स्वीकार भी किया है।

आठ दशकों में पसरे इस चुनावी सफर की कोई भी कहानी अधूरी ही रह जाएगी, यदि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख न किया जाए। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन को चुनकर नेहरू जी लाए थे और अपनी सूझबूझ, मेहनत के बल पर उन्होंने एक ऐसी नींव डाली, जिसके बल पर वर्षों तक यह संस्था काम करती रही। स्वातंत्र्योत्तर भारत के शुरुआती दो दशक स्वप्नजीवी आदर्शों के दशक थे, पर साठोत्तरी भारत की कहानी सपनों से मोहभंग की कहानी है और इसके बहुत से असरात में से एक जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती हिंसा केरूप में दिखता है। चुनाव भी क्रमशः बाहुबल और धनबल का खेल होते चले गए। इनके लिए बदलते मूल्यों के साथ अक्षम और निष्क्रिय चुनाव आयोग मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा। आयोग आमतौर से सत्ताधारी दलों की धांधलियों पर अपनी आंखें मूंद लेता था।

निराशा के इस घटाटोप में अचानक एक ऐसे देवदूत का मंच पर प्रवेश हुआ, जो नौकरशाही में अपने प्रदर्शन से बहुत प्रभावित नहीं कर पाया था, पर एक सांविधानिक पद पर बैठते ही उसने एक मृतप्राय संस्था को प्रासंगिक बना दिया। वह व्यक्ति थे टीएन शेषन (1990-96)। बड़बोले, उतावले और अतिरेकी शेषन ने जो जबरदस्त सुधार चुनावी प्रक्रिया में किए, उनसे दूरगामी परिणाम निकले। यह कहना तो सरलीकरण होगा कि शेषन के सुधारों के बाद चुनावों में बाहु और धन की भूमिका खत्म हो गई, पर यह जरूर हुआ कि खुलेआम बूथ लूटने और पैसा बांटने के बेशर्म दृश्य अब पहले जैसे नहीं दिखते। दलों के साथ सरकारी मशीनीरी में आयोग का भय भी बैठा, पर दुर्भाग्य से ये परिवर्तन व्यक्ति केंद्रित ही साबित हुए। तीन दशकों बाद धीरे-धीरे फिर चुनाव आयोग की भूमिका एक पक्षधर रेफरी की बनती जा रही है। यही कारण है कि शेषन और लिंगदोह जैसे आयुक्तों को छोड़ दें, तो शायद ही कोई जनता की स्मृति में बस पाया ।

चुनाव पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए उबाऊ और थका देने वाली प्रक्रिया के साथ उनकी साख के लिए एक गंभीर चुनौती की तरह आते हैं। अब चुनाव कई महीनों में फैले सात-आठ चरणों में समाप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में जवान यात्राओं में बुरी तरह से थक जाते हैं और बाद के चरणों में उनके मनोबल और क्षमता पर इसका प्रतिकूल असर साफ दिखता है। मगर लंबी अवधि में फैले चुनावों का फायदा यह होता है कि मतदान केंद्रों पर अधिक बल उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण अब बूथ लूटने जैसी घटनाएं अतीत की चीज बन गई हैं। अब मतदाताओं को बूथ पर नहीं, वरन उनके गांवों, कस्बों या रास्तों में आतंकित किया जाता है। मुझे याद है कि एक जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में जब मैंने अपने करियर के पहले आम चुनाव में पुलिस प्रबंध किया था, तब मेरे जिले में सभी मतदान केंद्रों पर तैनाती के लिए एक-एक पुलिस कांस्टेबल भी उपलब्ध नहीं था, उनकी कमी होमगार्डों और चौकीदारों से पूरी करनी पड़ी थी। आज स्थिति बहुत बदल चुकी है, आज अगर बूथ पर गड़बड़ी होती है, तो उसका साफ मतलब तंत्र की मिलीभगत ही अधिक है।

चुनावों के लिए जरूरी समता या समानता भरे मैदान का हमारे देश में सतरह लोकसभा चुनावों के बाद भी अभाव दिखता है। सत्ताधारी पार्टी दौड़ शुरू होने के पहले ही आगे खड़ी हो जाती है। चुनावी बॉन्ड की जानकारियों या निर्वाचन आयोग के फैसलों से भी यह स्पष्ट है। इन सबके बावजूद इसे भारतीय मतदाता की प्रौढ़ता ही कहेंगे कि सारी गड़बड़ियों के बावजूद उसने अनेक बार सत्तारूढ़ पार्टियों को अपने मतदान के अधिकार से अपदस्थ किया है। आपातकाल के बाद का चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रदेश

ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र को डिजिटल रूप में जारी करना सीएमवीआर का उल्लंघन

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य डॉ. कमल सोई ने राजस्थान में चिंताजनक मुद्दे पर डाली रोशनी

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। जाने-माने अन्तरराष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ और भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य डॉ. कमल सोई ने राजस्थान राज्य में एक चिंताजनक मुद्दे पर रोशनी डाली है। परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से केवल डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना मौजूदा कानूनों एवं दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो सड़क सुरक्षा एवं कानूनी अनुपालन के लिए गंभीर खतरा है। डॉ. सोई जो लम्बे समय से परिवहन प्रबन्धन, सड़क सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के प्रबन्धन से जुड़े रहे हैं, वे आम जनता की सुरक्षा एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियों को लागू करने और इनके कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा

भौतिक रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राजस्थान परिवहन विभाग कानूनी अधिदेशों एवं दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए सिर्फ डिजिटल दस्तावेज जारी करने पर जोर दे रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग ने 8 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी कर दी है कि 1 अप्रैल 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र केवल डिजिटल रूप में ही जारी किए जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की स्पष्ट अडवाइजरी का हवाला देते हुए डॉ. सोई का कहना है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र सिर्फ भौतिक रूप में ही जारी किए जाने चाहिए। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जुलाई 2023 और 9 फरवरी 2024 को स्पष्टीकरण दिया है कि इन नियमों का अनुपालन करते हुए लेमिनेटेड-कार्ड प्रकार के दस्तावेज जारी करना अनिवार्य है।

चुनरी मनोरथ और कलश यात्रा में हजारों लोगों ने लिया भाग

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। अखिल भारतीय राठी परिवार का प्रथम महासंगम राठी परिवार की कुलदेवी माता सच्चियाय की नगरी ओसियां में सम्पन्न हुआ। पद्मश्री बंशीलाल राठी और स्टॉक एक्सचेंज किंग आनन्द राठी के सानिध्य में लगभग 6-7 हजार बन्धुजन संगठित होकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप जीवन-शैली के लिए संकल्पित हुए। इस अवसर पर जयपुर के समाजसेवी

किशन राठी परिवार की ओर से चुनरी मनोरथ और अरविन्द राठी परिवार की ओर से छप्पन-भोग का आयोजन हुआ। औरंगाबाद निवासी रेखा राठी सम्मेलन अध्यक्षा तथा जोधपुर निवासी विनीत राठी संयोजक रहे। कार्यक्रम में अ.भा.मा. महासभा के अध्यक्ष संदीप काबरा, विधायक भैंरूलाल सियोल, भगवान राठी, हेमन्त राठी, सुरेश राठी, सुरेश राठी, राजेश राठी, हरिगोपाल राठी, दिनेश राठी, आदि उद्योग जगत की जानी-मानी हस्तियों का मार्गदर्शन रहा। अन्त में सांस्कृतिक संध्या, फागोत्सव और आतिशबाजी के साथ फिर मिलने का संकल्प लेकर संगम समाप्त हुआ।

लोगों में दहशत फैलाने के लिए हथियार रखने वाला बदमाश गिरफ्तार

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत मुरलीपुरा थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए लोगों में दहशत फैलाने के लिये हथियार रखने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक पिस्टल बरामद की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत सीएसटी ने मुरलीपुरा थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए लोगों में दहशत फैलाने के लिए हथियार रखने वाले अमनदीप धारु निवासी झोटवाड़ा जयपुर को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से एक पिस्टल जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी अमनदीप धारु जयपुर में हथियारों की सप्लाई करता है, जो यह अवैध हथियार लोगों से स्वयं की सुरक्षा के लिए रखना बताया और चलते राहगीरों से बंदूक दिखाकर लूट करना एवं भय व्याप्त करता है। गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राणौली में मतदाताओं का किया सम्मान

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राणौली में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लोकसभा आम चुनाव-2024 में मतदाता जागरूकता हेतु श्रमदान, पौधरोपण कार्य करते हुए मतदान की शपथ एवं मतदान प्रेरणा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ पचवारा मुरारी लाल जांगिड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जांगिड़ ने विद्यालय में पाम का पौध लगाकर वृक्षारोपण किया तथा मतदाताओं के साथ राणौली गांव में सफ़ाई कार्य कर स्वच्छता एवं श्रमदान का संदेश दिया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका का महत्व बताते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में भयमुक्त होकर बिना किसी प्रलोभन के सभी मतदाताओं से मतदान अवश्य करने की अपील की। संस्था प्रधान सूरज मल बुनकर ने इस अवसर पर कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश

भारत में नागरिकों को मतदान का बहुत बड़ा अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग प्रत्येक मतदाता को अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम में राणौली गांव की 90 वर्षीय मतदाता मूली देवी प्रजापत एवं 85 वर्षीय राम सहाय मीणा, नव मतदाता मंजू देवी एवं दिलकुश प्रजापत के साथ उपस्थित सभी मतदाताओं का सीबीईओ मुरारी लाल जांगिड़, संस्था प्रधान सूरजमल बुनकर द्वारा माला पहनाकर सम्मान एवं स्वागत किया।

कॉमेडके-कर्नाटक की प्रमुख इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। पिछले पांच दशकों में, कर्नाटक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहा है। इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए यह हमेशा से पसंदीदा जगह बना हुआ है। इसकी वजह हैं इसके विविधतापूर्ण कॉलेजों की लम्बी श्रृंखला, शानदार शैक्षणिक सुविधाएं और ग्रेजुएशन के बाद ऊंची जॉब प्लेसमेंट दर का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड। उच्च शिक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता ने कुशल पेशेवरों का एक बड़ा पूल तैयार किया है, जिसने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मांग को अपनी

तरफ आकर्षित किया है।

कॉमेडके यूजीईटी और यूनीगेज प्रवेश परीक्षा 12 मई 2024 को एक संयुक्त परीक्षा के रूप में आयोजित होने वाली है, जिसमें क्रमशः कर्नाटक के 150 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों और भारत भर के 50+ से अधिक प्रतिष्ठित निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह एकीकृत परीक्षा कर्नाटक अनएडिड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन (कुपेका) और यूनीगेज सदस्य विश्वविद्यालयों से जुड़े कॉलेजों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है।